

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या— /एसटीए/दस-82/2022

दिनांक: 15 जुलाई, 2022

—: विज्ञप्ति :-

उत्तराखण्ड शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-619/ix/166 /2005 दिनांक 17-01-2005 एवं अधिसूचना संख्या-53/ix-1/166/2004/2019 दिनांक 11-01-2019 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 13-07-2022 के संकल्प संख्या-07 व अन्य संकल्प संख्या-08 (1) में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यात्री किराया की दरों से सम्बन्धित विज्ञप्ति संख्या-565/एस.टी.ए./दस-82/2020 दिनांक 18-02-2020 (जो वर्तमान में लागू है) को, अधिक्रमित करते हुये, मंजिली गाड़ियों, टेका गाड़ियों, मालयानों, ई-रिक्शा, मोटर साईकिल किराया योजना के अन्तर्गत संचालित दुपहिया वाहनों, एम्बुलेन्स एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचन कार्यों तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधीन आपदा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिग्रहीत वाहनों का अधिकतम यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरें निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं:-

मंजिली गाड़ियों के लिए किराये की दरें :-

(एक) नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर चलायी जाने वाली निजी क्षेत्र एवं परिवहन निगम की मंजिली गाड़ियों हेतु यात्री किराया दरें:-

क्र० सं०	श्रेणी	निर्धारित दर	
		मैदानी मार्गों हेतु	पर्वतीय मार्गों हेतु
1	2	3	4
(1)	साधारण (Non Deluxe Bus)	128.00 पैसे प्रति किमी० प्रति यात्री (मूल दर)	183.00 पैसे प्रति किमी० प्रति यात्री (मूल दर)
(2)	वातानुकूलित सेवा		
	क- (3x2) सीटिंग ले-आउट (A.C. Non Deluxe Bus)	मूल दर का 1.25 गुणा	मूल दर का 1.25 गुणा
	ख-(2x2) सीटिंग ले-आउट (A.C. Deluxe Bus) Integral Coach	मूल दर का 1.90 गुणा	मूल दर का 1.90 गुणा
	ग- Super Luxury Coach with monocoque body	मूल दर का 3.00 गुणा	मूल दर का 3.00 गुणा
स्पष्टीकरण:- परिवहन निगम के स्वामित्वाधीन संचालित मंजिली वाहनों पर उक्त दरों के अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण अधिभार के रूप में आधारभूत किराए का अधिकतम 20 प्रतिशत तक पृथक से उदगृहीत किया जा सकेगा।			

(3) चारधाम/हेमकुंड यात्रा हेतु विशेष/अस्थायी परमिट पर संचालित बसों की किराया दरें :-

सीटिंग क्षमता	वाहन की श्रेणी	निर्धारित दर	
		किराया (रु०/प्रति किमी०)	प्रतीक्षा शुल्क (रु०/प्रतिदिन)
1	2	3	4
20 सीट तक		70.00	—
21 से 30 सीट	साधारण	63.00	3500.00
	डीलक्स (पुशबैक2X2)	76.00	5000.00
	वातानुकूलित	89.00	5500.00

Chy

1	2	3	4
31 से 45 सीट	साधारण	76.00	5000.00
	डीलक्स (पुश बैक)	83.00	6000.00
	वातानुकूलित	95.00	7000.00

(दो) केवल नगर निगम या नगर पालिका की क्षेत्रीय सीमा के भीतर 30 कि०मी० से अनधिक यात्रा की दूरी तक चलायी जाने वाली साधारण मंजिली गाड़ियों (ई-बसों को छोड़कर) हेतु अधिकतम यात्री किराया की दरें:-

क्र०सं०	निर्धारित स्लैब	निर्धारित दर (रु०)
1	2	3
1.	प्रथम 02 किमी० तक	9.00
2.	02 से अधिक किन्तु 06 कि०मी० तक	12.00
3.	06 से अधिक किन्तु 10 कि०मी० तक	18.00
4.	10 से अधिक किन्तु 14 कि०मी० तक	25.00
5.	14 से अधिक किन्तु 19 कि०मी० तक	30.00
6.	19 से अधिक किन्तु 24 कि०मी० तक	35.00
7.	24 से अधिक किन्तु 29 कि०मी० तक	40.00
8.	29 कि०मी० से अधिक	45.00

टेका यान के लिए किराये की दरें :-

(एक) ऑटोरिक्शा

मद	निर्धारित दरें
1	2
(1) किराये की दरें	प्रथम 02 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 60.00 तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 18.00
(2) रात्रि किराया	उपरोक्त दर से 50 प्रतिशत अधिक (रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)

(दो) टैम्पो (चालक को छोड़कर 5 से 7 सवारी क्षमता वाले तिपहिया वाहन)

किराये की दरें	प्रथम 2 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु. 50.00 तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 18.00

(तीन) टैक्सी/मैक्सी कैब

वाहन का प्रकार	वाहन का मूल्य (लाख रु० में)	निर्धारित दरें			
		मैदानी मार्ग हेतु किराये की दर (रु० प्रति किमी०)		पर्वतीय मार्ग हेतु किराये की दर (रु० प्रति किमी०)	
		साधारण सेवा	वातानुकूलित	साधारण सेवा	वातानुकूलित
1	2	3	4	5	6
ऑर्डिनरी	08 लाख से अनाधिक	16.00	18.00	18.00	20.00
डीलक्स	08 लाख से अधिक परन्तु 15 लाख से अनाधिक	20.00	22.00	22.00	25.00
लग्जरी	15 लाख से अधिक परन्तु 25 लाख से अनाधिक	25.00		27.00	
सुपर लग्जरी	25 लाख से अधिक	35.00		40.00	

and

प्रतीक्षा भाड़ा		
श्रेणी	प्रथम 02 घण्टे के लिए	02 घण्टे के पश्चात् प्रत्येक घण्टे के लिए
1	2	3
ऑर्डिनरी	50	50
डीलक्स	75	100
लग्जरी	100	150
सुपर लग्जरी	125	200

स्पष्टीकरण-1-80 कि०मी० से कम संचालन होने पर 80 कि०मी० का किराया देय होगा और 80 कि०मी० से अधिक संचालन होने पर प्रति कि०मी० की दर से किराया देय होगा।

2- 8 घण्टे तक कोई प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा। एक दिवस में 200 कि०मी० से अधिक संचालन होने पर भी कोई प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा।

3- 80 कि०मी० से 200 कि०मी० तक संचालन की स्थिति में 80 कि०मी० का किराया तथा 8घण्टे से अधिक का प्रतीक्षा भाड़ा जोड़ने अथवा वास्तविक रूप से संचालित कि०मी० के किराये में जो जो किराया अधिक होगा, वह देय होगा।

(चार) टेका बस

सीटिंग क्षमता	वाहन की श्रेणी	निर्धारित दरें	
		किराया (रु०/प्रति कि०मी०)	
		मैदानी मार्ग	पर्वतीय मार्ग
1	2	3	4
20 सीट तक		61.00	67.00
21 से 30 सीट	साधारण	58.00	61.00
	डीलक्स (पुश बैक)	70.00	73.00
	वातानुकूलित	80.00	85.00
31 से अधिक	साधारण	70.00	73.00
	डीलक्स (पुश बैक)	77.00	79.00
	वातानुकूलित	88.00	91.00
प्रतीक्षा भाड़ा	80 कि०मी० से कम संचालन होने पर 80 कि०मी० का किराया देय होगा और 80 कि०मी० से अधिक संचालन पर प्रति कि०मी० की दर से किराया देय होगा। 08 घण्टे तक कोई प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा। किन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक घण्टे के लिए रु० 200.00 अतिरिक्त देय होगा।		

(पांच) ई-रिक्शा

श्रेणी	दर (रु०)
ई-रिक्शा	रु० 12.00 प्रत्येक कि०मी० या उसके भाग के लिए

Handwritten signature

(छः) मोटर साईकिल योजना 1997 के अन्तर्गत किराये पर संचालित वाहनों हेतु अधिकतम किराये की दरें -

मूल्य के आधार पर वाहनों की श्रेणी	निर्धारित दरें (रु०)		
	पहले 02 घंटे के लिये	2 घंटे के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिये	24 घंटे के लिये
1	2	3	4
रु० 01 लाख तक के वाहन हेतु	125.00	75.00	700.00
रु० 01 लाख से अधिक व 02 लाख तक के वाहन हेतु	175.00	100.00	800.00
रु० 02 लाख अधिक व 05 लाख तक के वाहन हेतु	250.00	100.00	1000.00
रु० 05 लाख अधिक व 10 लाख तक के वाहन हेतु	325.00	150.00	1500.00
रु० 10 लाख अधिक व 20 लाख तक के वाहन हेतु	800.00	400.00	4000.00
रु० 20 लाख अधिक मूल्य के वाहन हेतु	1000.00	600.00	5000.00
स्पष्टीकरण-किराया इंधन रहित देय होगा।			

(सात) एम्बुलेन्स

अधिकतम निर्धारित दरें रु० में		
आधार भूत एम्बुलेन्स (Non AC) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ	आधार भूत एम्बुलेन्स (AC) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ	आई.सी.यू. कार्डियाक एम्बुलेन्स
1	2	3
(1) किराया- रु० 800.00 15 कि०मी० की परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घंटा)	किराया- रु० 1200.00 15 कि०मी० की परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घंटा)	किराया- रु० 3000.00 15 कि०मी० की परिधि तक रु० 4000.00 नर्सिंग स्टाफ के साथ रु० 6000.00 डॉक्टर के साथ
(2) 15 कि०मी० से अधिक दूरी हेतु रु० 18.00 प्रति कि०मी० या उसके भाग के लिये	15 कि०मी० से अधिक दूरी हेतु रु० 20.00 प्रति कि०मी० या उसके भाग के लिये	15 कि०मी० से अधिक दूरी हेतु रु० 45.00 प्रति कि०मी० या उसके भाग के लिये
01 घंटे के पश्चात रु० 200 प्रति घंटा प्रतीक्षा भाडा।	01 घंटे के पश्चात रु० 250 प्रति घंटा प्रतीक्षा भाडा।	-

(आठ) माल वाहनों के लिए अधिकतम भाड़े की दरें

1- मैदानी मार्ग हेतु	40.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.
2- पर्वतीय मार्ग हेतु	60.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.
स्पष्टीकरण-1-80 कि०मी० से कम संचालन होने पर 80 कि०मी० का किराया देय होगा और 80 कि०मी से अधिक संचालन होने पर प्रति कि०मी० की दर से किराया देय होगा।	
2- 8 घन्टे तक कोई प्रतिक्षा भाडा देय नहीं होगा। एक दिवस में 200 कि०मी० से अधिक संचालन होने पर भी कोई प्रतिक्षा भाडा देय नहीं होगा।	
3- 80 कि०मी० से 200 कि०मी तक संचालन की स्थिति में 80 कि०मी का किराया तथा 8घन्टे से अधिक का प्रतीक्षा भाडा जोड़ने अथवा वास्तविक रूप से संचालित कि०मी० के किराये में से जो किराया अधिक होगा, वह देय होगा।	

ans

(नौ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचन कार्यो, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधीन आपदा तथा अन्य प्रयोजनों हेतु अधिग्रहीत किये जाने वाले यात्री/भार वाहनों के लिये भाड़े की दरें:-

टैक्सी/मैक्सी/बस

वाहन का प्रकार	वाहन का एक्स शोरूम मूल्य (लाख में)	अधिग्रहण हेतु किराये की दर का आगणन		पूरे दिन के लिये निर्धारित किराये की दरें (रूपये में)
		वाहन की अधिग्रहण अवधि	प्रतीक्षा भाडा (रूपये में)	
1	2	3	4	5
आर्डिनरी कैब	08 लाख से अनधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	750	1430
डीलक्स कैब	08 लाख से अधिक परन्तु 15 लाख से अनधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	1475	2355
लक्जरी कैब	15 लाख से अधिक परन्तु 25 लाख से अनधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	2200	3480
सुपर लक्जरी कैब	25 लाख से अधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	2925	4825
30 सीट अथवा कम क्षमता वाली बसें	-	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	-	2840
30 सीट से अधिक क्षमता वाली बसें	-	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	-	3800
एम्बुलेंस	तालिका में उल्लिखित वाहन के प्रकार की दर के अनुसार			

भार वाहन

वाहन का प्रकार	वाहन का एक्स शोरूम मूल्य (लाख में)	अधिग्रहण हेतु किराये की दर का आगणन		पूरे दिन के लिये निर्धारित किराये की दरें (रूपये में)
		वाहन की अधिग्रहण अवधि	प्रतीक्षा भाडा (रूपये में)	
3000 कि०ग्रा० तक	पे लोड 20 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	332	572
3000-7500 कि०ग्रा०	पे लोड 40 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	332	712
7500-12000 कि०ग्रा०	पे लोड 60 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	496	1216
12000-16200 कि०ग्रा०	पे लोड 80 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	496	1616
16200 कि०ग्रा० से अधिक	पे लोड 140 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	496	2576

ans

स्पष्टीकरण

- 1- ऑटो रिक्शा का तात्पर्य तीन पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अनधिक सीटें हों।
- 2- टैम्पो का तात्पर्य तीन पहिये वाली गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अधिक परन्तु 6 से अनधिक सीटें हों।
- 3- ऑर्डिनरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित होती हो और जिसका मूल्य रू0 8.00 लाख से अनधिक न हो।
- 4- डीलक्स कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू0 8.00 लाख से अधिक हो परन्तु रू0 15.00 लाख से अधिक न हो।
- 5- लग्जरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू0 15.00 लाख से अधिक हो, परन्तु रू0 25.00 लाख से अधिक न हो।
- 6- सुपर लग्जरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू0 25.00 लाख से अधिक हो।
- 7- ठेका बस के सम्बन्ध में एक घण्टे का समय वाहन में चढ़ने तथा उतरने के लिए दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा।
- 8- संगणित यात्री किराये की राशि 1.00 रू0 के गुणांक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 1.00 रू0 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थ:-

- 1.01 रू0 से 1.50 रू0 = 1.00 रू0
1.51 रू0 से 1.99 रू0 = 2.00 रू0
- 9- यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि.मी) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि.मी. से अधिक का भाग एक कि.मी. (1.00 कि.मी.) तक पूर्णांकित किया जाएगा।
 - 10- औसत दैनिक भाड़े की गणना के प्रयोजनार्थ दिनों की संख्या की गणना करने के लिए 24 घण्टे का दिन माना जाएगा और किसी दिन का 8 घण्टे से कम का भाग छोड़ दिया जाएगा।
 - 11- किराये के अतिरिक्त उत्तराखण्ड मोटर कराधान (सुधार) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर, अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।
 - 12- मंजिली गाड़ियों के स्वामियों द्वारा किसी किराया शुल्क या उगाही, जो यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी या लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में मंजिली गाड़ियों पर लगायी गयी हो, के कारण अतिरिक्त किराया भी यात्रियों से वसूली किया जा सकेगा।
 - 13- सीटों की माप एवं बसों की श्रेणी के अन्तर्गत साधारण (Non Deluxe), सेमी डीलक्स (Semi Deluxe), डीलक्स (Deluxe) एवं सुपर डीलक्स (Super Luxury Coach with Monocoque Body) का अभिप्राय AIS 052 में निर्धारित मानकों से है।
 - 14- पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत

Ans

और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर नगर निगम सीमा से आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

संख्या-2744(1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल।
- 3- उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी दो सौ प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 8- गार्ड फाइल/सूचना पट्ट।

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।